क्रमांक 2/12/82–2 जी. एस.–III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1–हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल,
सभी आयुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी।

2–रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा
हरियाणा राज्य के जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक, चण्डीगढ़, 6 मई, 1982

विषय: ––निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के केसों का शीघ्रता से निपटान करने बारे हिदायतों–18 मास से अधिक समय तक निलम्बित कर्मचारियों की सूची मुख्य मंत्री को प्रस्तुत करने बारे।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर सरकार के परिपत्र क्रमांक 2/12/79–2 जी.एस. III दिनांक 2-4-1980 की ओर आकर्षित करूं और सूचित करूं कि सदर्भित परिपत्र की व्यवस्थानुसार 18 मास से अधिक समय से निलम्बित सरकारी कर्मचारियों की मासिक रिपोर्ट, प्रत्येक मास की 10 तारीख तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त होनी आपेक्षित होती है, परन्तु यह देखने में आया है कि अधिकतर विभाग उक्त तिथि तक कथित रिपोर्ट नहीं भेजते, जिसके फलस्वरूप सभी विभागों को रिपोर्ट की संगठित रूप देने तथा मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। अतः पुनर्विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रशासकीय विभाग ही अपने-अपने विभागों से सम्बंधित रिपोर्ट प्राप्त करके निश्चित तिथि तक इस विभाग को भेजें। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में 18 मास से अधिक अवधि के निलम्बित सरकारी कर्मचारियों की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की अन्तिम तिथि तक अपने प्रशासकीय विभाग को भेजदें और प्रशासकीय विभाग अपने अधीन सभी विभागों की संकलित रिपोर्ट अगले मास की 10 तारीख तक इस विभाग को भेजा करें। उदाहरण के रूप में, सभी विभागों द्वारा जनवरी मास की रिपोर्ट 31 जनवरी, तक अपने प्रशासकीय विभाग को भेज देनी चाहिये और प्रशासकीय विभागों द्वारा अपने अधीन सभी विभागों की संकलित रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को 10 फरवरी, तक भेजी जानी चाहिये।

2. कृपया इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाये।

हस्ता/-
अवर सचिव सामान्य प्रशासन
कृते. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार

एक एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है :–1) वित्तायुक्त राजस्व एवं सचिव, हरियाणा सरकार राजस्व विभाग। 2) हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।